माया राम बनाम जय नारायण (वी. रामास्वामी, मुख्य न्यायमूर्ति.)

वी. रामास्वामी , मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष

माया राम,-अपीलकर्ता।

बनाम

जय नारायण,-प्रतिवादी।

1978 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1981

26 अगस्त 1988.

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (1956 का 78) एसएस, 4 और 10(iii) और (iv) हिंदू जाट-दत्तक ग्रहण की प्रथा, विवाहित पुरुष को गोद लेने की मान्यता, इस तरह की प्रथा की वैधता-विवाहित पुरुष को गोद लेना-ऐसे गोद लेने की वैधता। माना गया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 4 अधिनियम के प्रावधानों को यह कहकर अधिभावी प्रभाव देती है कि अन्यथा अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले हिंदू कानून के हिस्से के रूप में लागू कोई भी प्रथा या प्रथा किसी भी मामले के संबंध में प्रभावी नहीं होगी जिसके लिए अधिनियम में प्रावधान किया गया है। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि गोद लेने में सक्षम होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें निर्धारित की जाएंगी, इससे संबंधित प्रथा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। धारा 10 में शर्तें संख्या 3 और 4, हालांकि, यह प्रदान करती हैं कि वे शर्तें तब तक लागू होंगी जब तक कि पार्टियों पर कोई प्रथा या प्रथा लागू न हो जो विवाहित व्यक्ति को अनुमति देती है' और '15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को' गोद ले लिया गया। इस प्रकार हालाँकि आम तौर पर धारा 4 के तहत प्रथा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन धारा 10 की शर्तों संख्या 3 और 4 में विशिष्ट प्रावधान के आधार पर, यदि कोई प्रथा है जो 15 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और विवाहित व्यक्ति को अनुमति देती है। को अपनाया जा रहा है जो लागू रहेगा।

पैरा (8)

माना गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है और यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है। देश के कुछ हिस्सों में हिंदू जाटों के बीच विवाहित पुरुषों को उनकी उम्र की परवाह किए बिना गोद लेने की एक निश्चित और मान्यता प्राप्त प्रथा थी। इसलिए, यह पूरी तरह से धारा 10 की शर्तों संख्या 3 और 4 में प्रदान की गई अपवादित प्रथा के अंतर्गत आएगा। इस मामले में गोद लेना काफी कानूनी और वैध था।

पैरा (9)

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक की अदालत के 31 अगस्त, 1978 के फैसले के खिलाफ नियमित दूसरी अपील, जिसमें वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, रोहतक के 30 सितंबर, 1975 के फैसले को उलट दिया गया और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया। पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ देना।

अपीलकर्ता की ओर से वकील ओ. पी. होशियारपुरी।

निर्णय

वी. रामास्वामी, मुख्य न्यायमूर्ति

(1) वादी अपीलकर्ता है। उन्होंने यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया कि 16 जून, 1970 को पंजीकृत गोद लेने का विलेख निष्पादित किया गया था प्रतिवादी, प्रतिवादी को गोद लेना अवैध है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है। वादी द्वारा उठाए गए मुख्य तर्कों में से दो थे (i) दस्तावेज़ का निष्पादन धोखाधड़ी और गलत प्रतिनिधित्व के कारण ख़राब हो गया था और (ii) प्रतिवादी जो गोद लेने के समय तीन साल के बच्चे के साथ एक विवाहित व्यक्ति था। , वादी द्वारा अपनाया नहीं जा सका।

(2) गोद लेने का तथ्य विवाद में नहीं है। पहले प्रश्न पर नीचे दिए गए न्यायालयों का समवर्ती निष्कर्ष यह है कि किसी भी गलत प्रतिनिधित्व या धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं है और पंजीकृत गोद लेने का कार्य किसी भी धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधित्व से खराब नहीं हुआ है। दूसरे प्रश्न पर, ट्रायल कोर्ट का विचार था कि हालांकि यह दिखाने के लिए प्रथा के सबूत हैं कि गोद लिए जाने वाले व्यक्ति के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है और शादी के बाद भी किसी व्यक्ति को गोद लिया जा सकता है, लेकिन प्रथा यह है कि किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया जा सकता है। जिसके पास बेटा है उसे गोद लिया जा सकता है। हालाँकि, अपील में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक ने कहा कि प्रथा के साक्ष्य से पता चलता है कि एक विवाहित व्यक्ति को एक बच्चे या बच्चों के साथ गोद लेने की अनुमति है। उनका यह भी विचार था कि भले ही इसका उत्तर दिया जाए कि प्रथा केवल एक विवाहित व्यक्ति को गोद लेने की अनुमति देती है, लेकिन एक बच्चे या बच्चों के साथ विवाहित व्यक्ति को गोद लेने की नहीं, प्रथा का वह हिस्सा जो विवाहित को गोद लेने को मान्यता नहीं देता है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 10 के साथ पठित धारा 4 के मद्देनजर अब बच्चे वाले व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस विचार में उन्होंने अपील की अनुमति दी, ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया और अंततः वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया।

(3) इस अपील में, विचार के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या रावज-ए-आम में प्रविष्टियों की उपस्थिति में, जो इस मामले में पी 2 के रूप में चिह्नित है, कि एक बेटे वाले व्यक्ति को गोद नहीं लिया जा सकता है, का

विचार निचली अपीलीय अदालत कानून में उचित थी। पार्टियां हिंदू जाट हैं और उन पर अधिनियम 78/1956 की प्रयोज्यता विवाद में नहीं है। अधिनियम लागू होने के बाद वर्ष 1970 में गोद लेने के बाद इसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होना होगा। अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि नं अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद या द्वारा गोद लिया जाएगा एक हिंदू को इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार छोड़कर उस अधिनियम का अध्याय (II) और उसके संबंध में किया गया कोई भी अंगीकरण- उक्त प्रावधानों का उल्लंघन शून्य होगा। धारा 4 प्रदान करता है अधिनियम के अधिभावी प्रभाव के लिए और कहा गया है कि किसी के संबंध में अधिनियम में वर्णित कोई भी प्रथा या प्रथा अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले कानून का बल लागू होगा किसी भी मामले के संबंध में प्रभाव समाप्त हो जाएगा जिसके लिए अधिनियम में प्रावधान किया गया है सिवाय अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए। धारा 10 विशेष रूप से उस व्यक्ति की योग्यताओं से संबंधित है जिसे गोद लिया जा सकता है। इसलिए, कोई भी प्रथा या उपयोग जो लागू था, उसे धारा 10 के प्रावधानों के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, हम धारा 10 के खंड (iii) और (iv) में पाते हैं, पार्टियों पर लागू होने वाली प्रथा या उपयोग निर्धारित है उसमें उल्लिखित सीमा और वे खंड इस प्रकार हैं:-

"10. कोई भी व्यक्ति तब तक गोद लेने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों, अर्थात्:-

(i) **

(ii) **

(iii) उसका विवाह नहीं हुआ है, जब तक कि पार्टियों पर लागू होने वाली कोई प्रथा या प्रथा न हो जो विवाहित व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देती है;

(iv) उसने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जब तक कि पार्टियों पर लागू कोई प्रथा या प्रथा न हो जो पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देती हो"। अधिनियम की धारा 3, खंड (ए) 'प्रथा' और 'उपयोग' को ऐसे किसी भी नियम के रूप में परिभाषित करती है, जिसका लंबे समय से लगातार और समान रूप से पालन किया जा रहा है, जिसने किसी भी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति में हिंदुओं के बीच कानून की शक्ति प्राप्त कर ली है। समुदाय, समूह या परिवार. प्रदर्शनी पृष्ठ 2, जो वर्ष 1909-10 के लिए तहसील रोहतक के रिवाज-ए-आम की एक प्रति है, जाटों के बीच कुछ रीति-रिवाजों को संदर्भित करता है और कहता है कि गोद लिए जाने वाले व्यक्ति के लिए और विवाह के बाद भी उम्र की कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति को गोद लिया जा सकता है लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को गोद नहीं लिया जा सकता जिसके पास बेटा हो। इस मामले में दिए गए उत्तर का बाद का भाग कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास बेटा है, गोद नहीं लिया जा सकता है, को इस आधार पर बाध्यकारी और केवल संकेतक और अनिवार्य नहीं माना गया कि वह निपटान अधिकारी के सीधे प्रश्न का उत्तर नहीं था। और गोद लेने की अमान्यता को पकड़ने के लिए उस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं था। इस तर्क के समर्थन में कुछ अन्य प्रत्यक्ष प्राधिकारियों पर भी भरोसा किया गया कि बच्चों के साथ एक विवाहित व्यक्ति को गोद लेना भी वैध है।

(4) देश के इस हिस्से में यह एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि यदि राजस्व अधिकारियों ने सीधे सवाल नहीं उठाया है जिस व्यक्ति से प्रथा का पता लगाया गया था, उस प्रथा के पक्ष में कोई भी अनुमान

लगाना सुरक्षित नहीं है, जिससे प्रविष्टि संबंधित है - चुहर सिंह बनाम राम चंद[1] (1)। इसी तरह का विचार जवाला बनाम दीवान सिंह[2] (2) में न्यायमूर्ति टेक चंद द्वारा भी व्यक्त किया गया था, जिसमें रिवाज-ए-आम में प्रविष्टियों के संदर्भ में, विद्वान न्यायाधीश ने कुछ पूर्व निर्णयों का उल्लेख करने के बाद कहा था कि प्रविष्टि केवल संकेतक है और अनिवार्य नहीं। रिवाज-ए-आम में प्रविष्टियों के संबंध में हेम सिंह और अन्य बनाम हरनाम सिंह और अन्य[3] (3) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की थीं: -

"रिवाज-ए-आम में दर्ज कोई विशेष नियम अनिवार्य है या निर्देशिका, यह इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि प्रथा की आवश्यक विशेषता क्या है। हिंदू कानून के तहत गोद लेना मुख्य रूप से एक धार्मिक कार्य है जिसका उद्देश्य गोद लेने वाले को आध्यात्मिक लाभ प्रदान करना है और इसलिए, कुछ नियमों को अनिवार्य माना गया है और उनका अनुपालन गोद लेने की वैधता की शर्त माना जाता है। दूसरी ओर, पंजाब में प्रथागत कानून के तहत, गोद लेना चरित्र में धर्मनिरपेक्ष है, जिसका उद्देश्य है एक उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लिए समारोहों और चयन में प्राथमिकताओं से संबंधित नियमों को निर्देशिका के रूप में रखा जाना चाहिए और उनकी उपेक्षा में किए गए गोद लेना अमान्य नहीं है। दत्त राम और अन्य बनाम तेजा सिंह और अन्य[4] (4) मामले में इस न्यायालय ने कहा कि पसंद के मामले में, विनियमन या प्रथा को आम तौर पर अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए।

(5) कुछ निर्णय ऐसे भी हैं जिनमें सीधे तौर पर यह माना गया है कि बच्चों वाले विवाहित व्यक्ति को गोद लिया जा सकता है। चंदा और अन्य बनाम अकबर और अन्य[5] (5) का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें यह। यह माना गया कि अमृतसर तहसील के लोहारों के बीच 26 वर्ष की आयु में बच्चों के साथ एक विवाहित व्यक्ति को गोद लेना प्रथा द्वारा अमान्य नहीं माना जाता था। फिर उसी खंड में पृष्ठ 472 (95 पीआर 1909) पर दिल्ली के जैनियों से संबंधित एक अन्य मामले में, यह माना गया कि बच्चों वाले एक विवाहित व्यक्ति को गोद लिया जा सकता है।

(6) पंजाब के लिए प्रथागत कानून के डाइजेस्ट में, पृष्ठ 228 पर सर डब्लू.एच. रैटिंगन द्वारा, गोद लेने के संबंध में पैरा 36 में कहा गया है कि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की उम्र या रिश्ते की डिग्री के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। और वहां उद्धृत कुछ अधिकारियों ने बच्चों के साथ विवाहित पुरुषों को गोद लेने को प्रथा के अनुसार वैध माना है।

(7) चूंकि ये निर्णय हिंदू जाटों से संबंधित नहीं हैं, इसलिए उनके बीच प्रथा को साबित करने के लिए उन पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। लेकिन उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि हिंदू जाटों में विवाहित पुरुषों को उनकी

---

[1] 1957 पी.एल.आर. 263
[2] ए.आई.आर. 1936 लाहौर 237
[3] ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 581.
[4] 1959 पी.एल.आर. 857
[5] 49 पंजाब रिकार्ड 1909

उम्र की परवाह किए बिना गोद लेने की एक निश्चित प्रथा थी। हालाँकि, सबूत या रिपोर्ट निर्णायक रूप से यह स्थापित नहीं करते हैं कि हिंदू जाटों के बीच विवाहित पुरुष को बच्चे या बच्चों के साथ गोद लेने की प्रथा थी या नहीं थी। प्रथा पर इस स्थिति के प्रकाश में आइए हम हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की जांच करें।

(8) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद किसी हिंदू द्वारा अध्याय ॥ में निहित प्रावधानों के अलावा कोई गोद नहीं लिया जाएगा। धारा 6 में प्रावधान है कि कोई भी दत्तक ग्रहण तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उल्लेखित अन्य आवश्यकताओं के साथ-साथ गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने में सक्षम न हो। धारा 10 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक गोद लेने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि उसमें उल्लिखित शर्तें पूरी न हो जाएं। यदि शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो गोद लिए जाने वाले व्यक्ति के लिए कोई अन्य अयोग्यता नहीं है। दूसरे शब्दों में, उस अनुभाग में निर्दिष्ट शर्तें संपूर्ण हैं और हम गोद लेने की वैधता के लिए कोई अन्य या आगे की शर्त आयात नहीं कर सकते हैं। धारा 4 यह कहते हुए अधिनियम के प्रावधानों को एक सर्वव्यापी प्रभाव देती है कि अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले लागू हिंदू कानून के हिस्से के रूप में कोई भी प्रथा या उपयोग सम्मान के साथ प्रभावी नहीं होगा। किसी भी मामले के लिए जिसके लिए अधिनियम में प्रावधान किया गया है। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि गोद लेने में सक्षम होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें निर्धारित की जाएंगी, इससे संबंधित प्रथा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हालाँकि, धारा 10 की शर्तें संख्या 3 और 4 में यह प्रावधान है कि वे शर्तें तब तक लागू होंगी जब तक कि पार्टियों पर कोई रिवाज या उपयोग लागू न हो जो विवाहित व्यक्ति और 'ऐसे व्यक्तियों को अनुमति देता है जिनका आपस में संबंध है। गोद लेने की उम्र 15 साल हो गई है। इस प्रकार, यद्यपि आम तौर पर धारा 4 के तहत सीमा शुल्क का कोई प्रभाव नहीं रहेगा धारा 10 की शर्त संख्या 3 और 4 में विशिष्ट प्रावधान के आधार पर, यदि 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को अनुमति देने का कोई रिवाज है और जिस व्यक्ति की शादी हो चुकी है उसे गोद लिया जा रहा है जो लागू रहेगा।

(9) बच्चों के साथ विवाहित व्यक्ति को गोद लेने की अनुमति देने वाली प्रथा के संबंध में चाहे जो भी संदेह हो, जैसा कि पहले ही कहा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है और देश के इस हिस्से में यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि लोगों के बीच एक निश्चित और मान्यता प्राप्त प्रथा थी। हिंदू जाट अपनी उम्र की परवाह किए बिना विवाहित पुरुषों को अपनाते हैं। इसलिए, यह पूरी तरह से धारा 10 की शर्तों संख्या 3 और 4 में प्रदान की गई अपवादित प्रथा के अंतर्गत आएगा और इसलिए, इस मामले में गोद लेना काफी कानूनी और वैध था।

(10) परिणामस्वरूप दूसरी अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

तुषार शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी , कैथल, हरियाणा